दाखादेवी बनाम फूसकी वगैराह
वाद क्रमांक 125/2022
जीसीएमएस क्रमांक 2022/236

होते है वकील वादी ने वाद पत्र को राजीनामा अनुसार डिक्रि किये जाने का निवेदन किया है वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी बडेर की भूमि में अपनी–अपनी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 08.02.2023 में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपसी सहमति के अनुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। उपरोक्त भूमि पुश्तेनी बडेर की भूमि है जिसमें प्रत्येक खसरे में प्रत्येक पक्षकार का हक हिस्सा निहित है। अतः वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादीनी दाखादेवी व प्रतिवादी संख्या 2 मगतुराम के संयुक्त हक बंट में मौजा पिडियारा का खेत खसरा नम्बर 170 रकबा 2.4038 हैक्टेयर सहखातेदारी में रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 फूसकी के हक बंट में मौजा पिड़ियारा का खेत खसरा नम्बर 180 रकबा 2.2986 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 मंगतूराम के हक बंट में मौजा पिड़ियारा का खेत खसरा नम्बर 163/192 रकबा 0.0809 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 65 रकबा 3.7474 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 24.7.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner